

नहीं है। वास्तु में निस्तारण
दिनांक 9-8-18 वास्तु मं. सं. ५०
को पेश हो।

अध्यापक एवं उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत (रामगढ़) अलवर

9.8.18
वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
पेश किया
नकल दिलाई गई। वास्तु मं. सं. ५० पत्रावली
दिनांक 1.11.18 को पेश हो।

1.11.18
वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
पेश किया
नकल दिलाई गई। वास्तु मं. सं. ५० पत्रावली
दिनांक 27.12.18 को पेश हो।

27.12.18
वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य
स्थगित है। पेश किया, नकल दिलाई
गई। वास्तु मं. सं. ५० दिनांक 21.2.19 को पेश हो।

21.2.19
वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य
स्थगित है। पेश किया, नकल दिलाई
गई। वास्तु मं. सं. ५० दिनांक 25.4.19 को पेश हो।

25.4.19

आज पत्रावली पेश हुई।
वादी व वकील अउष - भाग के
बात-बात अकाल। उलझाई गई।
आलेख अकाल गान उलझाई लगे।
पत्र मीठे इउल नही हुआ अल।
वादी व वकील अउष अल।
खालि लिखा जाता है। पत्रावली
अकाल अउष अल।
उपना हो।

अध्यापक एवं उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

मुहम्मद मिर्ज़ा

1/369/2018